



Bank of Maharashtra

AX1/ISD/STEX/144/2025-26

Date: 23rd February, 2026

The Vice President BSE Ltd., P.J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 BSE Scrip Code: 532525	The Vice President National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 NSE Scrip Code: MAHABANK
---	---

Dear Sir / Madam,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank

With reference to the captioned subject, please find enclosed the Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled on Monday, 23rd March, 2026 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Following agenda items will be transacted at the EGM:

Agenda item no.	Particulars
	Ordinary Business:
1	To approve the appointment of Shri Prabhat Kiran as Executive Director of the Bank
	Special Business:
2	To conduct Election of One Shareholder Director

Cut- Off Date for Agenda Item No 1: Voting rights of the Shareholders in respect of Agenda item no. 1 shall be reckoned as on Monday, 16th March, 2026.

Specified Date for Agenda Item No. 2: Bank has fixed Friday, 27th February 2026 as the Specified Date for the purpose of ascertaining the Shareholders of Bank eligible to participate i.e. to Nominate, Contest and Vote in the election process of One Director of the Bank to be elected by the Shareholders other than the Central Government.

Submission of nomination form for election of Shareholder Director: The last date of submission of nomination form for election of Shareholder Director is Friday, 6th March, 2026 on or before 5.00 p.m.

E-voting period: The remote e-voting period shall commence on from 09:00 a.m. on Wednesday, 18th March 2026 till 05:00 p.m. on Sunday, 22nd March 2026.

Please disseminate the above-mentioned information for the benefit of all shareholders.

Yours faithfully,

For Bank of Maharashtra

(Vishal Sethia)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

प्रधान कार्यालय / Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office: 134/1, Mont Claire, Baner- Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021

टेली /Tel.: 020 71658139 ईमेल / Email: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in वेबसाइट / Website: www.bankofmaharashtra.bank.in

Restricted



अनुसूची /INDEX

1	नोटिस	02
2	टिप्पणियां	04
3	ई-वोटिंग प्रक्रिया	11
4	एजेंडा मद क्रमांक 1 और 2 के लिए स्पष्टीकरण कथन	21
5	Notice	48
6	Notes	50
7	E-voting Process	56
8	Explanatory Statement for Agenda Items No.1 & 2	63

असाधारण आम बैठक/ Extraordinary General Meeting

महत्वपूर्ण तिथि और कार्यक्रम / Important Dates And Programme

कार्यक्रम / Events	तिथि / Dates
एजेंडा मद संख्या 1 के लिए अंतिम तिथि Cut – off Date for Agenda item number 1	सोमवार, 16 मार्च, 2026 Monday, 16 th March, 2026
एजेंडा मद संख्या 2 के लिए निर्दिष्ट तिथि Specified Date for Agenda item number 2	शुक्रवार, 27 फ़रवरी, 2026 Friday, 27 th February, 2026
ई- वोटिंग अवधि E-voting period	बुधवार, 18 मार्च, 2026 को सुबह 9:00 बजे से रविवार, 22 मार्च, 2026 को शाम 5:00 बजे तक। From 9.00 am on Wednesday, 18 th March, 2026 till 05:00 p.m. on Sunday, 22 nd March, 2026
असाधारण आम बैठक की तिथि और समय Date and time of Extraordinary General Meeting	सोमवार, 23 मार्च, 2026 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (OAVM) द्वारा Monday, 23 rd March, 2026 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: बैंक की असाधारण आम बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा ई-वोटिंग सहभाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए कृपया पृष्ठ संख्या 11 से 19 देखें।

Note: Please refer to page no. 56 to 62 for instructions related to e-voting, participation and joining the Extraordinary General Meeting of Bank through VC or OAVM.



कॉर्पोरेट कार्यालय: 134/1, मॉन्ट क्लेयर, बाणेर- पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021

प्रधान कार्यालय : "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) सोमवार, 23 मार्च, 2026 को सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य व्यवसाय :

एजेंडा मद क्रमांक 1

श्री प्रभात किरण की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित एसईबीआई (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 8 (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 नवंबर, 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 4/4(vii)/2024-बीओ.। द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री प्रभात किरण की नियुक्ति को 24.11.2025 (पदभार ग्रहण करने की तिथि) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इसे एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

विशेष व्यवसाय :

एजेंडा मद क्रमांक 2

शेयरधारक निदेशक का चुनाव

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करने के लिए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा



9(3)(i) के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे "बी आर अधिनियम" कहा गया है) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे आगे "योजना" कहा गया है) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004, जैसा कि संशोधित किया गया है (जिसे आगे "विनियम" कहा गया है), अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाए गए और भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - शासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 और इसमें कोई भी आगे का संशोधन, यदि कोई हो (जिसे आगे "आरबीआई निर्देश" कहा गया है), पर विचार करना और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, संबंधित योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम, आरबीआई के निर्देशों के साथ पठित, आकस्मिक रिक्ति में केंद्र सरकार के शेयरधारकों के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक को पदभार ग्रहण करने की तिथि/मानित तिथि से 30.06.2028 तक की अवधि के लिए बैंक के निदेशक के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।”

“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 25(2ए) के प्रावधानों के संबंध में पारित माना जाएगा।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 23.02.2026

स्थान : पुणे

(विशाल सेठिया)

कंपनी सचिव एवं बोर्ड सचिव



टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण और सूचना का हिस्सा है, यहां संलग्न हैं।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से ("ई-जीएम") का आयोजन:

- क. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए सर्कुलर") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक आयोजित करने के संबंध में जारी विभिन्न सर्कुलरों के अनुसार और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए शेयरधारकों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ईजीएम का अनुमानित स्थान पुणे स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा।
- ख. बैंक एमसीए परिपत्रों में उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में किसी भी प्रकार की विफलता से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- ग. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से पूर्व आम बैठक में भाग लेने और पूर्व आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। दूरस्थ ई-वोटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से पूर्व आम बैठक में शामिल होने और पूर्व आम बैठक में मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश नीचे अलग से दिए गए हैं।
- घ. चूंकि पूर्व आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए सचिवालय मानक 2 के अनुसार आवश्यक रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं किया गया है।
- ड. सेबी और एमसीए के मौजूदा परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्व आम बैठक (ईजीएम) की सूचना की प्रतियां भौतिक रूप में नहीं भेजी जाएंगी और बैंक के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत ईमेल पते वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी। शेयरधारकों



को यह ध्यान रखना चाहिए कि ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

- च. बैंक के शेयरधारक, जिन्होंने बैंक / डिपॉजिटरी / आरटीए के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे investor_services@bankofmaharashtra.bank.in / mparase@mcsregistrars.com पर ईमेल भेजकर ईजीएम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- छ. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बँठकें) विनियम, 2004 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति गिनी जाएगी।
- ज. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम मोड में ईजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- झ. संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, बैंक के सदस्य रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में जिसका नाम पहले धारक के रूप में आता है, वह ईजीएम में मतदान करने का हकदार होगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

चूंकि आम बैठक वर्चुअल मीटिंग/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, इसलिए मौजूदा एमसीए/सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने का दस्तावेज इस आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को शाम 5.00 बजे तक investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर न भेज दी गई हो।



5. बैंक की ईजीएम सूचना प्राप्त करने और लाभांश भुगतान के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है) अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं और बैंक के आरटीए के साथ अपने बैंक खाता विवरण को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए वे विधिवत भरे हुए **आईएसआर-1** फॉर्म की भौतिक प्रति एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 3बी3, तीसरी मंजिल, गुंडेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400072 को भेज सकते हैं या mparase@mcsregistrars.com (बैंक के आरटीए की ईमेल आईडी) पर ईमेल भेज सकते हैं।

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: जिन शेयरधारकों के शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में हैं और जिनके ईमेल आईडी/बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से अपने ईमेल पते, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

6. मतदान अधिकार:

एजेंडा मद संख्या 1, अर्थात् बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री प्रभात किरण की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में, बैंक ने कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के तहत शेयरधारकों के मतदान अधिकारों के निर्धारण हेतु सोमवार, 16 मार्च, 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

एजेंडा मद संख्या 2, अर्थात् शेयरधारक निदेशक का चुनाव, के लिए, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने के पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु, बैंक ने शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को निर्धारित तिथि के रूप में तय किया है। अतः, शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में शेयरधारकों के मतदान अधिकार की गणना शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को की जाएगी।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं है।



इसके अलावा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004, संशोधित के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को मतदान के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

7. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 3 नवंबर 2021 क्रमांक सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/ पी/ सीआईआर/ 2021/ 655 के अधिक्रमण में दिनांक 16.03.2023 के परिपत्र क्रमांक सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/ सीआईआर/ 2023/37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतिधारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र.	फॉर्म	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज/ अद्यतित करने हेतु
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने हेतु
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच -13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच -14	नामांकन को रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उक्त सभी फॉर्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 और एसएच-14] तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट के निवेशक संबंध कोर्नर>शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा> सेबी आ दिनांक 16.03.2023 का परिपत्र www.bankofmaharashtra.bank.in/sebi-circular-dated-16032023 पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे बैंक के आरटीए को निम्नलिखित पते पर सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें:

आरटीए का विवरण:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड,



साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

8. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अद्यतित करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

9. शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण

शेयरधारकों से अनुरोध है कि भौतिक शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से संपर्क करें, यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना दें, साथ ही हस्तांतरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम) मैडेट आदि के लिए अनुरोध दर्ज करें। यह संपर्क निम्नलिखित पते पर किया जा सकता है:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

10. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना:

सेबी के मौजूदा नियमों के अनुसार, बैंक शेयरों का भौतिक रूप में हस्तांतरण नहीं करेगा। भौतिक या डीमैट रूप में धारित प्रतिभूतियों का आगे का हस्तांतरण या स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। इसलिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों (शेयर प्रमाणपत्र) से अनुरोध है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित कर लें। शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन से तरलता भी बढ़ती है और शेयरधारक अपने डीमैट खाते से जुड़े डीमैट ट्रेडिंग खाते के माध्यम से अपनी सुविधानुसार शेयर बेच सकेंगे।



उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों, जिनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भौतिक शेयर हैं, उनसे एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ कर लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी एक में, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए, डीमैट खाता खोल सकते हैं।

11. शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन के लाभ :

शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन के लाभ निम्नानुसार हैं:

- शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने और खराब होने का कोई खतरा नहीं
- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई
- कम संव्यवहार लागत
- लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।

12. अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण अधिनियम, 1970) की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित “निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि” (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए शेष अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश की ऐसी कोई भी राशि ‘निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि’ में अंतरित की गई है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

आईईपीएफ प्राधिकारी से अदावाकृत लाभांश राशि का दावा निर्दिष्ट फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन कर और समुचित रूप से समान हस्ताक्षरित (बैंक के पास रिकॉर्ड किए गए नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) इसकी भौतिक प्रति आईईपीएफ-5 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए



को भेजकर किया जा सकता है। आईईपीएफ नियम तथा अदावाकृत लाभांश का वापस दावा करने के लिए निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in और साथ ही, एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 में दिनांक 18 नवंबर, 2025 को किए गए संशोधन के अनुसार, अनुसूची I के साथ पढ़े जाने वाले विनियमन 12 के प्रावधानों को 'पेएबल-एट-पार' वारंट/चेक जारी करने से संबंधित प्रावधानों को हटाकर संशोधित किया गया है।

उपरोक्त विनियम परिवर्तन के कारण:

- क. भविष्य में सभी लाभांश भुगतान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से ही किए जाएंगे।
- ख. बैंक लाभांश का भुगतान भौतिक माध्यमों से, अर्थात् 'सममूल्य-पर-देय' वारंट/चेक' के माध्यम से नहीं करेगा।
- ग. जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे तब तक लाभांश प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि उनका विवरण विधिवत पंजीकृत/अद्यतन नहीं हो जाता।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि:

- क. यह सुनिश्चित करें कि लाभांश के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को सक्षम करने के लिए बैंक खाता विवरण संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट शेयरधारकों के लिए) या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (भौतिक शेयरधारकों के लिए) के साथ सही ढंग से पंजीकृत/अद्यतन किया गया हो।
- ख. लाभांश सूचनाओं और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संदेशों की समय पर प्राप्ति के लिए अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर अपडेट करें।



13. रिमोट ई-वोटिंग :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकें, इसके लिए आपके बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक और/या नियत दिनांक** को बैंक के शेयरधारिता वाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। बुधवार, 18 मार्च, 2026 को सुबह 9:00 बजे से रविवार, 22 मार्च, 2026 को शाम 5:00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

14. ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एक्सेस।

(i) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/परिपत्र/पी/2020/242 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, सीडीएसएल/एनएसडीएल डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉग-इन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन पद्धति
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने



<p>साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक</p>	<p>का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट में लॉग-इन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकन और मायईजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें।</p> <ol style="list-style-type: none">2) सफल लॉग-इन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता, कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता, रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता, लॉग-इन पर तथा माय ईजी न्यू (टोकन) पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डिमैट खाते में अभिलेखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकरण करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां वोटिंग प्रक्रियारत है। साथ ही, वह सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
<p>एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले</p>	<ol style="list-style-type: none">1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके https://eservices.nsdl.com वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल



<p>वैयक्तिक शेयरधारक</p>	<p>प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" का विकल्प चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें, जो 'शेयरधारक/सदस्य' खंड में मिलेगा। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>4) ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक करें। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने</p>
------------------------------	---



	और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करें।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त न कर पा रहे हों, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क ब्यौरे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर: 1800 21 09911 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या फोन नंबर: 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।



चरण 2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सेस।

(ii) डी-मैट फॉर्म में वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारक और भौतिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन प्रक्रिया।

- 1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें।
- 2) “शेयरहोल्डर” मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- 3) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक, कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- 4) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- 5) यदि आपकी शेयरधारिता डी-मैट रूप में है, आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की ई-वोटिंग में मतदान किया है, तो अपना मौजूदा पासवर्ड उपयोग करें।
- 6) यदि आप पहली बार यूजर हैं, तो नीचे दी जा रही प्रक्रिया का अनुसरण करें:

	भौतिक शेयरधारक और वैयक्तिक शेयरधारकों को छोड़कर डी-मैट शेयर रखने वाले अन्य शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमैरिक *पैन प्रविष्ट करें। (डी-मैट शेयरधारक सहित भौतिक शेयरधारक - दोनों पर लागू) <ul style="list-style-type: none">• जिन शेयरधारकों ने कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कंपनी/आरटीए द्वारा प्रेषित सिक्वेस नंबर का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।



लाभांश बँक ब्यौरे या जन्मतिथि (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए आपके डी-मैट खाते या कंपनी के अभिलेख में दर्ज किए अनुसार जन्मतिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई प्रारूप में) या लाभांश बँक विवरण प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none">यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया लाभांश बँक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।
---------------------------------------	---

(iii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।

(iv) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही कंपनी/बँक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अब “पासवर्ड क्रिएशन” मेनू पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। पुनः सूचित किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

(v) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।

(vi) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है, उस संबंधित <company/bank name> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(vii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन” दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए “हां/ नहीं” विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प ‘हां’ यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल्प ‘नहीं’ दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

(viii) यदि आप संकल्प की संपूर्ण जानकारी देखने के इच्छुक हैं तो “रिजॉल्यूशन्स फाइल लिंक” पर क्लिक करें।

(ix) जिस संकल्प हेतु आपने वोट करने का निर्णय लिया है, उसके चयन के बाद, “SUBMIT” पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो



"OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(x) एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके, डाले गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xii) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और 'पासवर्ड भूल गए'पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।

(xiii) अपलोड किए गए बीआर/पीओए को अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(xiv) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) के लिए अतिरिक्त सुविधा - रिमोट ई-वोटिंग के लिए।

गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और स्वयं को "कॉरपोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।

क) संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन कॉपी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।

ख) लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करके कम्प्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कम्प्लायंस यूजर उन खातों को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।

ग) लॉग-इन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में डीलिक किया जा सकता है।



घ) बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन कॉपी, जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी की है, उसे जांचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

ड) वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जांचकर्ता और कंपनी को ई-मेल पता यथा investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर भेजना अनिवार्य है, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और उसे जांचने के लिए संवीक्षक हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

बैठक के दौरान वीसी/ ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में सहभाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया, ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. बैठक में सहभाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सफल लॉग इन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले शेयरधारक बैठक में सहभाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने का सुझाव दिया जाता है।
5. शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए कैमरा अनुमति देने और अच्छी स्पीड से इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो समस्या का अनुभव हो सकता है। अतः किसी भी प्रकार की उपरोक्त समस्याओं को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।



7. केवल वे शेयरधारक, जो एजीएम में वीसी /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

8. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि वही शेयरधारक वीसी /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट को सुविधा के रूप में अमान्य माना जा सकता है। बैठक के दौरान ई-वोटिंग केवल बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कंपनी / आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई आधार कार्ड की कॉपी)।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें।

3. वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें, जो ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को प्रेषित की जाएं।



15. असाधारण बैठक में ई-वोटिंग के संवीक्षक:

असाधारण बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

16. ई-वोटिंग के परिणाम:

असाधारण बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर, बैंक द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।



व्याख्यात्मक विवरण :

एजेंडा मद क्रमांक 1

श्री प्रभात किरण को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक अनुच्छेद 8 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना क्र. ईएफ.सं. 44/4(vii)/2024-BO। दिनांक 24 नवंबर, 2025 द्वारा श्री प्रभात किरण को 24.11.2025 से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री प्रभात किरण का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

नाम	प्रभात किरण
आयु	54 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.ए. (ऑनर्स), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा, सीएआईआईबी-प्रमाणित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट
नियुक्ति की तिथि/ पदभार ग्रहण करने की तिथि	24.11.2025
नियुक्ति खंड	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत नियुक्त।
कार्यकाल	पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 24 नवंबर, 2025 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
संक्षिप्त परिचय	श्री प्रभात किरण एक अनुभवी बैंकर हैं जिन्हें 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1996 में केनरा बैंक से अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के सभी क्षेत्रों - कॉर्पोरेट ऋण, जोखिम प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में व्यापक अनुभव रखते हैं।



	<p>बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यग्रहण करने से पहले, वे केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट विंग का नेतृत्व किया था।</p> <p>वे एक प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल हैं और उनके पास समग्र बीमा प्रमाणन और एमएसएमई का प्रमाणपत्र है।</p>
मौजूदा निदेशकों के साथ संबंध	श्री प्रभात किरण का बैंक के किसी भी मौजूदा निदेशक से कोई संबंध नहीं है।
घोषणा	बैंक के निदेशक श्री प्रभात किरण को सेबी के किसी आदेश या किसी अन्य नियामक/वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री प्रभात किरण की नियुक्ति के लिए बैंक के शेयरधारकों से साधारण संकल्प के माध्यम से अनुमोदन मांगा जाता है।

एजेंडा मद क्रमांक 2

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

- (i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, जहां धारा 3 की उपधारा 2बी के खंड (सी) के तहत जारी की गई पूंजी बैंक की कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक लेकिन बत्तीस प्रतिशत से कम है, वहां बैंक के निदेशक मंडल में केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से विधिवत निर्वाचित दो निदेशक होने चाहिए। चूंकि बैंक में वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता 26.40% है, अतः बैंक के निदेशक मंडल में केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अनुसार अपने बीच से निर्वाचित दो शेयरधारक निदेशक हो सकते हैं।
- (ii) बैंक के दो शेयरधारक निदेशक थे, अर्थात् श्री प्रवीण कुमार और श्री मृत्युंजय महापात्रा
- (iii) श्री मृत्युंजय महापात्रा को बैंक के शेयरधारकों द्वारा 30.06.2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया और उन्होंने 01.07.2025 को 3 वर्ष की अवधि के लिए 30.06.2028 तक पदभार ग्रहण किया।



- (iv) श्री मृत्युंजय महापात्रा ने दिनांक 06.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद से अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया और दिनांक 07.07.2025 से वे बैंक के निदेशक पद पर नहीं हैं।
- (v) श्री मृत्युंजय महापात्रा के निदेशक पद से इस्तीफे के बाद हमारे बैंक में एक शेयरधारक निदेशक का पद रिक्त हो गया है।
- (vi) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 11बी के अनुसार, (i) यदि किसी निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उस रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा और (ii) निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा। तदनुसार, आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित होने वाले शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल 30.06.2028 तक, अर्थात् उनके पूर्ववर्ती श्री मृत्युंजय महापात्रा के कार्यकाल के शेष भाग तक होगा।
- (vii) अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) विभिन्न संबंधित अधिनियमों/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचनाओं/ केंद्र सरकार/आरबीडी के निर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं।

विधिक प्रावधान :

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों/ विनियम/ योजना/ अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैं :

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन -ई) धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त ब्याज ➤ सामान्य निदेशकों का निषेध ➤ इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध ➤ समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता।



<p>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970</p>	<p>धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i)</p> <p>धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए)</p> <p>धारा 9 (3बी)</p> <p>धारा 13(2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए। ➤ चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार। ➤ निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
<p>राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970</p>	<p>खंड 9(4)</p> <p>खंड 10</p> <p>खंड 11 खंड 11ए</p> <p>खंड 11बी</p> <p>खंड 12(8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता ➤ निदेशक के कार्यालय की रिक्ति ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना ➤ कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हितों, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, का प्रकटन



<p>बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004</p>	<p>विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन ➤ साधारण बैठक में मतदान ➤ आम बैठकों में निदेशक का चुनाव ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की संवीक्षा ➤ निर्वाचन से संबंधित विवाद ➤ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्रॉक्सियां
<p>भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रशासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025</p>	<p>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) के अनुसरण में</p>	<p>राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड</p>
<p>01 जुलाई 2015 का भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र डीबीआर. सं.डीआईआर. बी.सी. 10/13.03.00/ 2015-16</p>	<p>-</p>	<p>निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना</p>
<p>सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित</p>	<p>-</p>	<p>स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान</p>

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, बीआर अधिनियम, विनियम, योजना और आरबीआई के निर्देशों से संबंधित प्रासंगिक अंश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। ये अंश इच्छुक उम्मीदवारों को कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे को investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर भेजे गए



अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल द्वारा भी भेजे जाएंगे। यह अनुरोध नामांकन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, यानी **शुक्रवार, 6 मार्च, 2026** को या उससे पहले प्राप्त होना चाहिए।

क. चुनाव में भागीदारी:

जिन शेयरधारकों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा **निर्दिष्ट तिथि**, अर्थात् शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को उपलब्ध कराए गए शेयरधारकों/वास्तविक स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने, **नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान** करने के हकदार होंगे।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय सरकार बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत नियुक्त किए जाने वाले निदेशक के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3क) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार, जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक निर्वाचित होना चाहते हैं,

क. उसे निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सहकारिता

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

ख. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग. किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।



भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रशासन) दिशा-निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव निर्दिष्ट किया है, अर्थात्:

- i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. सूचना प्रौद्योगिकी
- ix. भुगतान और निपटान प्रणाली
- x. मानव संसाधन
- xi. जोखिम प्रबंधन
- xii. व्यवसाय प्रबंधन
- xiii. कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) के अनुसार, अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए कोई भी व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह अपने कार्य अनुभव, सत्यनिष्ठा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों के आधार पर "योग्य एवं उपयुक्त" न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए की उपधारा (2) और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उपधारा (3ए) और (3एबी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रशासन) निर्देश, 2025 जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए "उपयुक्त और योग्य" मानदंड निर्धारित किए गए हैं।



इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशकों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, बैंक की आचार संहिता का पालन करना होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक और/या अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा इस संबंध में निर्धारित वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यताएँ:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा:

क) यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो, या उसने भुगतान रोक दिया हो, या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

ख) यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

ग) यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक पतन शामिल हो; या

घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, जिसमें प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से मनोनीत निदेशक शामिल हैं;

(ख) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रशासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 की अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/बैंक के बोर्ड द्वारा उसे 'योग्य एवं उपयुक्त' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

घ. शेयरधारकों की सूची:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 64 के अनुसार, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में, अर्थात् सीडी/पेनड्राइव या अन्य माध्यमों में) निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र - कॉर्पोरेट कार्यालय, 134/1, मॉन्टक्लेयर, बाणेर-पाषाण लिंक रोड, पाषाण - 411021 में दिनांक 28.02.2026 से उपलब्ध होगी। शेयरधारक पुणे में देय 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के



पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रु.50,000 (केवल रुपये पचास हजार) का अग्रिम भुगतान करके इसे खरीद सकते हैं।

उक्त सूची खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डीजीएम-सीएस एवं बोर्ड सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, 134/1, मॉन्टक्लेयर, बाणेर-पाषाण लिंक रोड, पाषाण - 411021 को संबोधित एक अनुरोध पत्र देना होगा या investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर ई-मेल करना होगा या 020-71658139 पर संपर्क करें, जिसमें यह वचन देना होगा कि सूची का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

ड शेरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण :

शेरधारकों का रजिस्टर सभी कार्यदिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक अवकाशों को छोड़कर) दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में शेरधारकों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। शेरधारकों का रजिस्टर देखने के इच्छुक शेरधारकों को निरीक्षण के दिन से कम से कम एक कार्यदिवस पहले बैंक के कंपनी सचिव को investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर और 020-71658139 पर सूचित करना आवश्यक है।

यदि किसी शेरधारक को इसकी चुनिंदा/ आंशिक जानकारी की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता है, तो उसे प्रति 1,000 शब्दों या उसके अंश के लिए रु.5/- के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

च. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 65, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए विभिन्न अधिनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते:

- क) उसे एक शेरधारक होना चाहिए जिसके पास चुनाव में भाग लेने के लिए शेरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु **निर्दिष्ट दिनांक** शुक्रवार 27 फरवरी, 2026 को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेर होने चाहिए और उसे बैठक के दिनांक तक तथा उसे चयन होने पर अपने कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेर अपने पास रखना चाहिए।
- ख) नामांकन लिखित रूप में होना चाहिए और उस पर अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के हकदार कम से कम सौ शेरधारकों या उनके विधिवत नियुक्त अटॉर्नी



के हस्ताक्षर होने चाहिए, बशर्ते कि यदि कोई शेयरधारक कंपनी है तो उसका नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है, तो उस प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा असल प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो जिसमें इसे पारित किया गया हो, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय को डीजीएम - सीएस और बोर्ड सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र - कॉर्पोरेट कार्यालय, 134/1, मॉन्टक्लेयर, बाणेर-पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021 के पते पर भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।

- ग) शेयरधारकों द्वारा वैध नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ उम्मीदवार द्वारा इस सूचना में दिए गए नामांकन एवं घोषणा पत्र के नमूना प्रपत्र के अनुसार एक घोषणा पत्र संलग्न होना चाहिए, जिस पर उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, जिसमें यह प्रमाणित हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक है, और यह कि वह अधिनियम या विनियम अधिनियम या योजना या आरबीआई के निर्देशों के अंतर्गत या निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है। इसके साथ ही उम्मीदवार द्वारा अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डेटा) पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि ये विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। साथ ही, उम्मीदवार को घोषणा के बाद प्रासंगिक घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र बैंक को पूरी तरह से सूचित करने का वचन भी देना होगा।
- घ) नामांकन प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र विनियमों द्वारा निर्धारित और इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं (प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर भी उपलब्ध हैं)।
- ड) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 तक, वह व्यक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या अधिनियम, योजना, विनियम, आरबीआई के निर्देश, या आरबीआई, भारत सरकार, सेबी या किसी अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य निर्देशों के अंतर्गत बैंक में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं है।

छ नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण :

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक, इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में,



जिस पर “शेयरधारक निदेशक के लिए नामांकन - मार्च 2026” अंकित हो, डीजीएम - सीएस और बोर्ड सचिव, निवेशक सेवा विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 134/1, मॉट क्लेयर, बाणेर-पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021 को किसी भी कार्यदिवस पर, ईजीएम की निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले, यानी शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले जमा करें।

- क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- ख) चुनाव में भाग लेने के पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों के नामांकन;
- ग) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचन पत्र (पीडीयू फॉर्म) नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में संलग्न दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों, जैसे कि स्व-सत्यापित प्रतियां (क) बायोडेटा, (ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ग) कार्य अनुभव आदि के साथ प्रस्तुत करें।

उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए; अन्यथा नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

ज. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

- क) नामांकनों की जांच शनिवार, 7 मार्च, 2026 से शुरू होगी, यानी नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाले पहले कार्य दिवस से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नामांकन विनियमों और अन्य दिशा-निर्देशों आदि में निहित शर्तों के अनुरूप हैं, और यदि कोई नामांकन अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उसे कारण दर्ज करने के बाद अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख) नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/बोर्ड द्वारा सलाह दिए जाने पर बैंक उम्मीदवार(ओं) से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।
- ग) वैध नामांकनों की जांच नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / बोर्ड द्वारा आरबीआई के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- घ) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एकमात्र रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन हो, तो नामांकित और योग्य पाए गए उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित मान लिया जाएगा और उसका नाम एवं पता निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित ईजीएम नोटिस का एजेंडा संख्या 2 वापस ले लिया जाएगा। निर्वाचित माने गए उम्मीदवार अगले दिन पदभार ग्रहण करेंगे।



ड) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हों, तो उम्मीदवारों के नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा और जिस उम्मीदवार को दूरस्थ ई-वोटिंग और ईजीएम में हुए मतदान के कुल योग के आधार पर बहुमत प्राप्त होगा, उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसका नाम घोषित किया जाएगा और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

झ. उम्मीदवारी को वापस लेना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को दोपहर 2.00 बजे से पहले किसी भी समय ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कॉर्पोरेट कार्यालय, 134/1, मॉंट क्लेयर, बाणेर-पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021 स्थित निवेशक सेवा विभाग के उप महाप्रबंधक (सीएस) और बोर्ड सचिव को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर ईमेल के माध्यम से हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी भेजनी होगी, जिसके बाद उसे कूरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।

ञ. शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित एजेंडा मद के लिए ईजीएम में मतदान प्रक्रिया:

निदेशक के चुनाव के लिए मतदान ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) के माध्यम से किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 18 मार्च, 2026 को सुबह 9:00 बजे से रविवार, 22 मार्च, 2026 को शाम 5:00 बजे तक रहेगी।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी।

शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने वाले शेयरधारक ईजीएम के दौरान वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

वोटों की संख्या शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 (कार्य समय की समाप्ति तिथि) को उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या के बराबर होगी, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि है।

ट. विवाद :

यदि कोई विवाद है तो उसका निराकरण यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।



ठ अंश:

लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंश शेयरधारकों के लाभ के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर उपलब्ध हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं या इनकी प्रति प्राप्त करने के लिए बैंक के कंपनी सचिव को investor_services@bankofmaharashtra.bank.in पर लिख सकते हैं। शेयरधारकों के लाभ के लिए इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

ड निदेशकों का हित:

बैंक के निदेशक, अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, और वे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उपरोक्त मद में संबंधित या हितधारक माने जा सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 23.02.2026

स्थान : पुणे

(विशाल सेठिया)

कंपनी सचिव एवं बोर्ड सचिव



नामांकन फॉर्म
(शेयरधारक द्वारा)

अ.क्र.

प्रति,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

कॉर्पोरेट कार्यालय

134/1, मॉट क्लेयर, बाणेर-पाषाण लिंक रोड,

पाषाण, पुणे - 411021

प्रिय महोदय,

विषय : निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

आपके दिनांक 23 फरवरी 2026 की सूचना के संदर्भ में, मैं _____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट तिथि) को रु.10/- प्रत्येक के ----- इक्विटी शेयरों (पूर्णतः भुगतान किए गए) का शेयरधारक हूँ। सोमवार, 23 मार्च, 2026 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की ईजीएम में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में निर्वाचन करने हेतु श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____ को जो _____

के निवासी हैं, उन्हें एतद्वारा नामित

करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि डिमटेरियलाइज्ड है तो) पंजीकृत फोलियो क्र.(यदि डिमटेरियलाइज्ड नहीं है तो)	
स्थान	
दिनांक	



टिप्पणियां :

1. यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
3. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।



घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

में, _____ सुपुत्र/

सुपुत्री/पत्नी

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____, एतद्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि:

क. मैं **शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026** को अर्थात निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए **विनिर्दिष्ट तिथि** को बैंक के ₹.10/- प्रत्येक के ----- इक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 इक्विटी शेयर रखूंगा; तथा

ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम (x) मानव संसाधन प्रबंधन (xi) जोखिम प्रबंधन (xii) व्यवसाय प्रबंधन और (xiii) अन्य किसी का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूँ;

ग. मैं _____ से _____ तक क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूँ;

घ. मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ;

ड. मुझे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियमन 2004, यथा संशोधित, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारक निदेशकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ;

च. मैं कंपनियां अधिनियम, 2013 के तहत अयोग्य नहीं हूँ।

छ. मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूँ और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ;

मैं यह भी घोषित करता/ करती हूँ कि

ज. मुझे किसी भी समय दीवालिया नहीं माना गया है या भुगतान विलंबित होने या लेनदार के साथ समझौता करने वाला नहीं माना गया है; और



- झ. मुझे कभी भी विकसित अथवा अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और मुझे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और
- ञ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; और
- ट. चयन होने के तुरंत बाद मैं बैंक के साथ पेशेवर संबंध, यदि कुछ हो, से पृथक हो जाऊंगा और निदेशक के रूप में मेरी अवधि के दौरान और इसके उपरांत दो वर्ष की अवधि हेतु बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा; और
- ठ. मैं किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक मंडल का सदस्य या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक नहीं हूँ।
- ड. मैं किसी भी प्रकार की किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, लीजिंग और अन्य पैराबैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध नहीं हूँ।
- ढ. मैं पूर्व में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में छह वर्ष के लिए, विराम के साथ या निरंतर निदेशक नहीं रहा हूँ।
- ण. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ।
- त. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थात् अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि जैसे निकाय) के सदस्य का पद नहीं संभाल रहा हूँ।
- थ. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- द. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत और
- ध. मेरा न तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- न. मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और चुने जाने पर मैं निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले बैंक के साथ संबंध तोड़ने का वचन देता हूँ।
- न. मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) नहीं हूँ।
- प. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई के निर्देश के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ;
- फ. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन



Bank of Maharashtra

होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ; और

ब. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारित करने तक समय समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ; और मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं, और

भ. मैं अन्य कंपनियों /बैंकों में मेरे वर्तमान व अतीत के निदेशक पद के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत करता हूँ।

कंपनी/ बैंक इत्यादि का नाम	निदेशक पद के ब्यौरे यथा अवधि, कार्यकाल आदि

म. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जोकि मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार हर तरह से पूर्ण और सही है, तथा

शेयरों की संख्या शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 तक	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र.	

स्थान:

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

उम्मीदवार का नाम:

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

नाम : _____

तिथि : _____

मुहर के साथ हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्वर्येस के रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।

Confidential



बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) द्वारा 'घोषणा और वचनपत्र'
(उचित संलग्नकों के साथ)

यहां पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाएं

क्र. सं.	विवरण	जानकारी के प्रकटीकरण		
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण			
1.	पूरा नाम	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता तथा वैकल्पिक ई-मेल पता: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन क्रमांक : मोबाइल क्रमांक :			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) और आयु	-- / -- / ----	आयु ----- वर्ष	----- माह
8.	शैक्षिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान क्रमांक (डीआईएन)			
10.	आधार क्रमांक (वैकल्पिक)			



11.	1. स्थायी खाता क्रमांक (पैन) 2. प्रस्तावित निदेशक के कर निर्धारण क्षेत्र (आयकर क्षेत्राधिकार) का प्रभार / आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता 3. पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न तथा करों के भुगतान की जानकारी।	कर दाखिल करने की तिथि	भुगतान की गई कर राशि (₹ में)
12.	स्थायी पता		
13.	एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, अर्थात् अकाउंटसी, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि लघु उद्योग, अथवा सूचना प्रद्यौगिकी, भुगतान व निपटान प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या अन्य का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।		
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संस्था का नाम, अनुभव की संक्षिप्त जानकारी)		
15.	पिछले न्यूनतम दस वर्षों के दौरान जिन संस्थाओं में कार्य किया है, उनका पूर्ण पता, कार्य ग्रहण का दिनांक, भारमुक्त होने का दिनांक (कारण सहित), पदनाम इत्यादि की जानकारी		



16.	<p>सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित दर्शाएं</p> <p>(क) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) का सदस्य क्रमांक</p> <p>(ख) आईसीएआई में पंजीकरण का दिनांक</p> <p>(ग) पंजीकृत फर्म का नाम व पता</p> <p>(घ) वर्तमान में फर्म या आपके द्वारा किए जा रहे लेखा परीक्षा का ब्यौरा</p>				
17.	<p>जहां आप प्राथमिक खाताधारक (बचत/चालू/ऋण खाता) हैं उस बैंक का नाम, शाखा तथा खाता क्रमांक</p>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	<p>आपके, आपके जीवनसाथी या अवयस्क बच्चे द्वारा यदि किसी रूप में, या तो भौतिक या डिमैट रूप में रखा गया शेयर धारिता का ब्यौरा (डी-मैट/ शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)</p>				
19.	<p>बैंक के निदेशक पद से संबद्ध कोई अन्य जानकारी</p>				
II. प्रस्तावित निदेशक का प्रासंगिक संबंध					
20.	<p>उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) तथा नियम, 2014 कंपनी के नियम 4 (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्दिष्टीकरण)] के अनुसार</p>				



	<p>21. इकाइयों की सूची जिसमें: (क) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]: (ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम भी देखें]: (ग) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य का भी उल्लेख करें): संबंध का भी उल्लेख करें):</p>		
	<p>22. मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)* के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित हैं।</p>	<p>कंपनी/ फर्म का नाम</p> <p>निगमन का देश</p> <p>शेयरों की संख्या</p> <p>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</p> <p>शेयर धारिता का कुल अंकित मूल्य</p> <p>कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता</p> <p>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के संदर्भ में भी)</p> <p>क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 8 के अंतर्गत कंपनी है</p>	
	<p>23. विदेशों में निगमित संस्थाओं और भारत में व्यवसाय का स्थान रखने वाली संस्थाओं में धारिता का विवरण।</p>		



	24.	बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि (कार्यालय में किए गए/किए जा रहे कार्य के अवधि का विवरण सहित)।	
	25.	यदि किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (एसोसिएशन की प्रकृति का उल्लेख किया जाना है) करने वाली किसी इकाई से जुड़े हैं, तो उसका विवरण।	
	26.	यदि कोई स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में लगी किसी संस्था से जुड़े हैं, तो उसका विवरण।	
	27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है।	
	28.	मामले, यदि कोई हों, जहां एक व्यक्ति या ऊपर (21) से (26) तक सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में चूक या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया है।	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख		
	29.	निदेशक पद हेतु संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV.	प्रस्तविक निदेशक के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो		



30.	(क) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश हेतु उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो	
	(ख) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत है या आरोप होने के मामले में, इसका ब्योरा दें।	
31.	(21) और (26) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या आरंभ की गई या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कोई हो।	
32.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्योरा दें।	
33.	यदि एएमएल/ सीएफटी के दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन में संलिप्त हो, तो उसका विवरण दें।	
34.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?	
35.	यदि दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या ऋणदाताओं के साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण दें।	



36.	यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
37.	(क) नैतिक अधमता या अन्यथा किसी अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय ने यदि दोषी ठहराया हो तो तत्संबंधी विवरण दें।	
	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?	
38.	पूर्ण कालिक निदेशक के पद को धारण करने के अलावा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, के अंतर्गत यदि कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो उसका विवरण दें।	
39.	क्या उक्त (21) और (26) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या पूर्व नियोक्ता के संदर्भ पर किसी अन्वेषण/सतर्कता/जांच के अधीन रखा गया है? तो विवरण दें।	
40.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय नियमों/ अधिनियमों/ सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें।	



	<p>41. यदि व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा फटकार, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित, आदेश, या अन्यथा स्वीकृत किया गया हो, तो उसका विवरण।</p> <p><i>(यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से स्थगित किया गया हो और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित हैं तो इसका भी उल्लेख किया जाए।</i></p>	
V.	सामान्य जानकारी	
	<p>42. यदि कोई व्यावसायिक जैसे सनदी लेखाकार, एडवोकेट आदि और वर्तमान में किसी बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहा है/किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें जिसमें बैंक का नाम और बैंक के साथ सहकार्य की अवधि शामिल है।</p>	



	43. यदि कोई मौजूदा सांसद/विधायक/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI.	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'उपयुक्त और उचित' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो तो, उसका विवरण प्रदान करें।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, जो कि उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूँ।

मैं बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 'अपेक्षित प्रसंविदा विलेख' के निष्पादन का भी वचन देता हूँ।

स्थान:

दिनांक:

उम्मीदवार/ प्रस्तावित निदेशक का हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें।
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
3. सहायक दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए और स्व-सत्यापित होने चाहिए।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ बोर्ड की टिप्पणी जिसमें वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त जानकारी पूर्ण व उचित है।

स्थान :

दिनांक :

एनआरसी/ बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

एनआरसी/ बोर्ड के अध्यक्ष का नाम

नोट * : 'पर्याप्त हित' (i) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से, उसके शेयरों में लाभकारी हित का होना, जिस पर भुगतान की गई राशि दो करोड़ रुपये या केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित ऐसी अन्य राशि या कंपनी की भुगतान पूंजी के दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो; (ii) किसी फर्म के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से, उसमें धारित लाभकारी हित, जो उक्त फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अभिबद्ध कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो।

Corporate Office: 134/1, Mont Claire, Baner- Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an **Extraordinary General Meeting (EGM)** of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Monday, the 23rd March, 2026 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business(es):

ORDINARY BUSINESS:

Agenda Item No.1

To approve the appointment of Shri Prabhat Kiran as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Prabhat Kiran, as Executive Director under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide Notification no. eF. No. 4/4(vii)/2024-BO.I dated 24th November, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, for a period of three years with effect from 24.11.2025 (date of assumption of charge of the office), or until further orders of the Government of India, whichever is earlier, be and is hereby approved.”

SPECIAL BUSINESS:

Agenda Item No. 2

Election of One Shareholder Director.

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution:-



Bank of Maharashtra

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government in casual vacancy, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under and RBI Directions, be and is hereby appointed as Director of the Bank with effect from the Date/Deemed Date of assumption of office for a period upto 30.06.2028."

"RESOLVED FURTHER THAT the aforesaid Resolution shall be deemed to be passed in connection with the provisions under Regulation 25(2A) of SEBI (LODR) Regulations."

By order of Board of Directors

Sd/-

Date: 23.02.2026

Place: Pune

(Vishal Sethia)

Company Secretary & Board Secretary

NOTES:**1. EXPLANATORY STATEMENT(S):**

The Explanatory Statement(s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the Notice.

2. HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (“E-EGM”):

- a) Pursuant to various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and by Securities and Exchange Board of India with regard to holding of Extraordinary General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), the EGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The deemed venue of the EGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Pune.
- b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank will ensure sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c) Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM and e-voting during the EGM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the EGM through VC / OAVM and Voting at the EGM are given separately hereunder.
- d) As the EGM will be held through VC/OAVM facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- e) In line with extant SEBI and MCA Circulars/guidelines, copies of the Notice of EGM shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in the Shareholders Record of the Bank. Shareholders may note that the EGM Notice will also be available on the Bank’s website www.bankofmaharashtra.bank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com .
- f) Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of EGM by sending email to investor_services@bankofmaharashtra.bank.in / mparase@mcsregistrars.com.
- g) The attendance of the Shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.

- h) The Members can join the EGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.
- i) In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the EGM.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

Since the EGM will be held through VC/OAVM, where physical attendance of shareholders in any case has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies in terms of extant MCA/SEBI guidelines. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the shareholders will not be available for the EGM and as such, instrument for appointing proxy is not being attached with this EGM notice.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@bankofmaharashtra.bank.in, not less than four days before the date of meeting i.e., on or before 5.00 p.m. on Tuesday, 17th March, 2026.

5. PROCESS TO REGISTER THE EMAIL ID FOR RECEIVING BANK'S EGM NOTICE AND UPDATION OF BANK ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF DIVIDEND:

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in **ISR-1 form** to MCS Share Transfer Agent Ltd., 3B3 3rd Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai – 400072 or by sending mail at mparase@mcsregistrars.com (Email-id of RTA of the Bank).

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

6. VOTING RIGHTS:

For Agenda Item No. 1, i.e., Approval for appointment of Shri Prabhat Kiran, Executive Director of the Bank, the Bank has fixed **Monday, 16th March, 2026** as the Cut-off Date for determining the voting rights of shareholders in terms of provision under Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

For Agenda item No. 2 i.e., Election of one Shareholder Director, for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director representing the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, **the Bank has fixed Friday, 27th February, 2026** as the **Specified Date**. Thus, Voting Rights of shareholders in respect of election of Shareholder Director shall be reckoned as on **Friday, 27th February, 2026**.

The shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further, as per Regulation 10 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

7. NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION FOR PHYSICAL SHAREHOLDERS OF THE BANK:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA. Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)



All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website under Investor Relations Corner>Important announcement for shareholders > SEBI Circular dated 16.03.2023 <https://bankofmaharashtra.bank.in/sebi-circular-dated-16032023>. In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address:

Details of the RTA:

MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road ,
Sakinaka Andheri (E), Mumbai - 400072

Phone : 022-28516021-22

E-mail : mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

8. HOLDING OF SHARES IN ELECTRONIC FORM

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

9. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address:

**MCS Share Transfer Agent Limited,
(Unit: Bank of Maharashtra)**

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,

Kherani Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400072

Tel. 022 – Phone : 022-28516021-22

E-mail : mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

10. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

In terms of extant SEBI norms, Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. Accordingly, the shareholders holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to convert them to demat form to eliminate all risks associated with Physical shares. Dematerialization of shares also add to liquidity and

the shareholder will be able to sell the shares as per his/her convenience through a Demat Trading Account linked to his/her Demat Account.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Bank of Maharashtra, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

11. Benefits of Dematerialization of Shares:

The benefits of dematerialization of shares are as under:

- No threat of loss and wear and tear of share certificate
- Easy and convenient way to hold securities
- Immediate transfer of securities
- Reduced paperwork for transfer of securities
- Reduced transaction cost
- Dividend directly credited to your Bank Account.

12. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to “Investor Education and Protection Fund” (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to “Investor Education and Protection Fund”.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants from the financial year 2021-22 onwards are advised to approach the Bank’s Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address.

The unclaimed dividend amount which has already been transferred to IEPF, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Bank’s RTA. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate

Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.bank.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in.

Further, pursuant to the Amendment to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 dated 18th November, 2025, the provisions of Regulation 12 read with Schedule I have been amended by omitting the provisions relating to issuance of 'payable-at-par' warrants / cheques.

Due to aforesaid regulatory change:

- a. All future dividend payments shall be made only through electronic mode of payment approved by the Reserve Bank of India.
- b. The Bank will not be paying dividend through physical modes i.e., payable-at-par' warrants' / cheques.
- c. Shareholders who have not registered or updated their bank account details will not be able to receive dividend until such details are duly registered/updated.

In view of the above, shareholders are requested to:

- d. Ensure that bank account details are correctly registered/updated with the respective Depository Participant (for demat shareholders) or with the Registrar and Share Transfer Agent (for physical shareholders) to enable electronic credit of dividend.
- e. Update their email address and mobile number for timely receipt of dividend intimations and other electronic communications.

13. REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date and / or on the Specified Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders **from 09:00 a.m. on Wednesday, 18th March, 2026 till 05:00 p.m. on Sunday, 22nd March, 2026 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

14. THE INSTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

- (i) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding shares/securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	<ol style="list-style-type: none"> 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.



<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository</p>	<ol style="list-style-type: none">1) If user is already registered for NSDL IDeAS facility, he/she is required to visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. User will have to enter User ID and Password. After successful authentication, he/she will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and he/she will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and he/she will be re-directed to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. User will have to enter his/her User ID (i.e. sixteen digit demat account number holding with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.4) For OTP based login, user can click on https://eservices.nsd.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. User will have to enter their 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on
--	---

	company name or e-Voting service provider name and user will be re-directed to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	User can also login using the login credentials of their demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, user will be able to see e-Voting option. Once they click on e-Voting option, they will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein they can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and they will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- (ii) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
 - 1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - 2) Click on “Shareholders” module.

3) Now enter your User ID

- a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	<p>Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company/Bank records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field.

(iii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

(iv) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company/Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat account holders for voting on resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.



- (v) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (vi) Click on the EVSN for the relevant <Company/Bank Name> on which you choose to vote.
- (vii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (viii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (ix) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (x) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xi) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xii) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xiii) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- (xiv) Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote e-Voting Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
 - a) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - b) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - c) The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & will be delink in case of any wrong mapping.

- d) It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- e) Alternatively, Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; investor_services@bankofmaharashtra.bank.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the EGM
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/iPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Agenda Items/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
8. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED IN SHAREHOLDER RECORD OF THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to /RTA email id investor@cameoindia.com.

2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

In case of any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, the Shareholder can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, (Central Depository Services (India) Limited), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

15. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT EGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the EGM.

16. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting during the meeting aggregated with the results of the Remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.bank.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Bank. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

Agenda Item No.1

TO APPROVE APPOINTMENT OF SHRI PRABHAT KIRAN AS EXECUTIVE DIRECTOR OF THE BANK

In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, the Central Government vide Gazette Notification No. eF. No. 4/4(vii)/2024-BO.I dated 24th November, 2025 has appointed Shri Prabhat Kiran as an Executive Director of Bank of Maharashtra, for a period of three years with effect from the date of assumption of office 24.11.2025, or until further orders, whichever is earlier.

The brief profile of Shri Prabhat Kiran is mentioned below:

Name	Prabhat Kiran
Age	54 years
Education Qualification	B.A. (Hons), PG Diploma in Business Administration, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
Date of Appointment/ Date of Assumption of charge	24.11.2025
Appointment clause	Appointed under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
Tenure	For a period of three years with effect from the date of assumption of office i.e. from 24th November, 2025 or until further orders, whichever is earlier.
Brief profile	<p>Shri Prabhat Kiran is a seasoned banker with 30 years of experience. He started his banking career in the year 1996 with Canara Bank and have broad experience in all aspects of SME – Corporate lending, Risk Management and International operation.</p> <p>Prior to joining Bank of Maharashtra, he was working as Chief General Manager in Canara Bank and headed Large Corporate Wing.</p> <p>He is a certified Credit Professional and holds Composite Insurance Certification & Certificate in MSME.</p>
Relationship with existing Directors	Shri Prabhat Kiran does not have any relationship with any existing directors of the Bank.
Declaration	Shri Prabhat Kiran, ED of the Bank is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other regulatory/statutory authority



Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, approval for appointment of Shri Prabhat Kiran, Executive Director of the Bank is sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution.

Agenda Item No.2

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- (i) As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent but less than thirty two percent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have two Directors duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves. As the present public shareholding in the Bank is 26.40%, Bank can have two Shareholder Director on the Board to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves as per the provisions under Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- (ii) The Bank had two Shareholder Directors, namely Shri Praveen Kumar and Shri Mrutyunjay Mahapatra.
- (iii) Shri Mrutyunjay Mahapatra was elected as Shareholder Director by the shareholders of the Bank at Annual General Meeting held on 30.06.2025 and assumed office on 01.07.2025 for a period of 3 years till 30.06.2028.
- (iv) Shri Mrutyunjay Mahapatra vide his letter dated 06.07.2025 submitted his resignation as a Shareholder Director of the Bank and has ceased to be Director of the Bank w.e.f. 07.07.2025.
- (v) Consequent upon cessation of directorship of Shri Mrutyunjay Mahapatra, casual vacancy for one Shareholder Director has arisen in our Bank.
- (vi) As per Para 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, stipulates that (i) where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election and (ii) the person so elected shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor. Accordingly, the term of office of the Shareholder Director proposed to be elected in Casual vacancy will be upto 30.06.2028 i.e. upto the unexpired portion of the term of his predecessor, Shri Mrutyunjay Mahapatra.
- (vii) The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme / Regulations / Notification / Directions from the Central Government/ RBI.



LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulations / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20 Section 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➤ Applicability of certain sections of Act to Bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director



ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected Directors on the Board of Nationalized Banks
RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015	-	Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	-	Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Act, The B R Act, The Regulations, The Scheme, and The RBI Directions will be made available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.bank.in which can be viewed / downloaded. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Corporate Office, Pune at investor_services@bankofmaharashtra.bank.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., **Friday, 6th March, 2026**.

A. PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Friday, 27th February, 2026** shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director to be appointed u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

- A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - i. Agriculture and rural economy
 - ii. Banking
 - iii. Co-operation
 - iv. Economics
 - v. Finance
 - vi. Law
 - vii. Small scale industry
 - viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- B. Represents the interest of depositors; or
- C. Represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI vide Master Directions on Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 has specified the special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following areas, namely:



- i. Agriculture and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry
- viii. Information Technology
- ix. Payment and Settlement Systems
- x. Human Resources
- xi. Risk Management
- xii. Business Management
- xiii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

In terms of Section 9(3AA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having “Fit and Proper” status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred to it under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and sub-sections (2) of Section 19A of the State Bank of India Act, 1955 and sub-sections (3AA) & (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 which *inter-alia* lays down “Fit and Proper” Criteria for the persons being elected as Directors on the Board of the PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

Further, the elected Directors will have to execute a deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/other regulatory authorities in this regard.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a Competent Court; or



- c) if he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and;
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director in Public Sector Banks, by the Nomination and Remuneration Committee/Board of the Bank.

D. LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., CD/Pendrive or such other media) will be available at Investor Services Department, Bank of Maharashtra-Corporate Office, 134/1, Mont Claire, Baner- Pashan Link Road, Pashan - 411021 from 28.02.2026 for purchase by Shareholders on a pre-payment of Rs.50,000 (Rs. Fifty Thousand only) by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of '**Bank of Maharashtra**' payable at Pune.

The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to DGM – CS & Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra- Corporate Office, 134/1, Mont Claire, Baner- Pashan Link Road, Pashan - 411021 or on mail at investor_services@bankofmaharashtra.bank.in or contact at 020-71658139 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

E. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Corporate Office of the Bank on all working days (other than Second and Fourth Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 03.00 p.m. to 5.00 p.m. Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at investor_services@bankofmaharashtra.bank.in and on 020 - 71658139 atleast one working day before the day of inspection.



If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

F. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004, Reserve Bank of India Directions and other applicable provisions of various Acts / Guidelines/ Directives for being elected as a Director, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 27th February, 2026** being the **Specified Date** fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/deposited to the Corporate Office of the Bank addressed to the DGM – CS & Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra - Corporate Office, 134/1, Mont Claire, Baner-Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- c) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the RBI Directions or from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- d) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.bank.in)

- e) As on **Friday, 6th March, 2026** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Act, the Scheme, Regulations, RBI Directions, or such other directives, as may be issued from time to time, by RBI, GOI, SEBI or any other relevant Statutory/ Regulatory Authorities for being elected as a Director in the Bank.

G. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders other than the Central Government, desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked “**Nomination for Shareholder Director - March 2026**” to the DGM – CS & Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra – Corporate Office, 134/1, Mont Claire, Baner – Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before 5.00 p.m., on **Friday, 6th March, 2026**.

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of a) Bio-data, b) Certificate of Educational Qualifications, c) Work Experience, etc.,

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

H. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR:

- a) The scrutiny of Nominations shall commence on **Saturday, 7th March, 2026 i.e.**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is found not to be conforming, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- c) Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) / Board, as the case may be, in terms of the RBI Directions.

- d) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In that case, the Agenda item No. 2 of EGM Notice pertaining to election of one Shareholder Director stand withdrawn. The candidate deemed elected will assume office on the next day.
- e) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be notified to the Stock Exchanges and also published in the newspapers and voting will be held as per schedule and the candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the EGM will be declared elected and his/her name will be announced and also published in newspapers

I. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he/she would be entitled to do so at any time but not later than 2.00 p.m. on **Tuesday, 17th March, 2026** by sending a signed letter addressed to DGM – CS & Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra – Corporate Office, 134/1, Mont Claire, Baner – Pashan Link Road, Pashan, Pune – 411021 or scanned signed letter over e-mail at investor_services@bankofmaharashtra.bank.in followed by dispatch of the same by Courier/ Speed Post.

J. VOTING PROCESS AT/DURING THE EGM FOR AGENDA ITEM PERTAINING TO ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR:

The voting for election of Director shall be done through e-Voting (Remote e-voting and e-voting during EGM).

Remote e-voting period will begin at **09:00 a.m. on Wednesday, 18th March, 2026 till 05:00 p.m. on Sunday, 22nd March, 2026.**

The e-voting during EGM shall commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting.

The shareholders can exercise their voting rights either through remote e-voting or e-voting during EGM. However, the shareholders who have cast their votes during Remote e-voting period shall not be entitled to cast votes during EGM.

The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on **Friday, 27th February, 2026**, the Specified Date fixed for the purpose.



K. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.

L. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Directions/ are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.bank.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank at investor_services@bankofmaharashtra.bank.in to obtain copy thereof. The same is reproduced hereinafter for the benefit of shareholders.

M. INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Director who file his nomination may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of Board of Directors

Sd/-

Date : 23.02.2026

Place: Pune

(Vishal Sethia)

Company Secretary & Board Secretary

NOMINATION FORM
(By the Shareholder)

To,
Bank of Maharashtra
Corporate Office,
134/1, Mont Claire,
Baner- Pashan Link Road,
Pashan, Pune - 411021

Sr. No.

Dear Sir/Madam,

Sub: Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 23rd February, 2026, I _____ a shareholder of Bank of Maharashtra, holding _____ equity shares of face value of Rs.10/- each as on Friday, 27th February, 2026 (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. _____ Son / daughter / wife of Shri / Smt. _____ residing at _____ for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Monday, 23rd March, 2026

Name	
Signature	
No. of Shares held	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized) Folio No. (if not dematerialized)	
Place	
Date	

NOTES:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



DECLARATION

(By the Candidate)

I, _____ son / daughter / wife of Shri /Smt _____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a. I am a Shareholder holding _____ equity shares of Face Value of Rs.10/- each of the Bank under Folio No. _____ / DP ID _____ / Client ID _____ as on **Friday, 27th February, 2026** i.e., the **Specified Date** for participating in the election, and undertake to hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
- b. I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) Information Technology (ix) Payment & Settlement Systems (x) Human Resources Management (xi) Risk Management (xii) Business Management and (xiii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of Reserve Bank of India (RBI), would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
(*tick whichever is applicable)
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____;
- d. I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Regulations Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, as amended, and the relevant notifications/directions issued by RBI with regard to Shareholder Directors of Public Sector Banks;
- f. I am not disqualified under the Companies Act, 2013.
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and



- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I have not been a director on the Board of Bank of Maharashtra, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- l. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- m. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank of India (RBI) or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company (IC) or a NOFHC holding any other bank; and
- n. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities; and
- o. I have not served as a Director in the past on the board of any Bank / FI/ RBI/ IC under any category for six years, whether continuously or intermittently; and
- p. I am not engaging in the business of stock broking; and
- q. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.); and
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India; and
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Maharashtra; and
- t. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with Bank of Maharashtra nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Maharashtra; and
- u. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director; and
- v. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution; and
- w. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI) before assuming office as a director; and
- x. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- y. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks etc.:

Name of the Company/ Bank etc.	Directorship details viz., tenure, period etc.

aa I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects. The details of shareholding in Bank of Maharashtra are as under:

No. of Shares held as on Friday, 27th February, 2026	
DP ID No. and Client ID No	

Place:
Date :

Signature of the candidate:
Name of the candidate:

The above declaration was signed before me.

Name : _____

Signature with Seal

Date : _____

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Maharashtra or any Nationalised Bank.



Affix passport size photo here

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

**'Declaration and Undertaking' by a proposed Director
(Candidate)
(with appropriate enclosures)**

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed		
I.	Personal details of the candidate			
1.	Name in Full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	-- / -- / ----	Age	----- years ----- months
8.	Educational Qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhar Number (optional)			



			Date of filing	Amount of tax paid (INR)
11.	4. Permanent Account Number (PAN) 5. Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/ name and address of Income Tax Circle / Ward 6. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years			
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			
14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)			
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization (s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.			
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): b) Date of registration with the ICAI: c) Name and Address of the registered firm/s: d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:			



	17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank name	Branch	Type of A/c	A/c Number
	18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
	19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II. Relevant Relationships of proposed director						
	20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
	21.	List of entities in which: (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				
	22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of company/ firm			
			Country of incorporation			
			Number of shares			
			Face value of each share			
			Total face value of share holding			
			Shareholding as % of total Paid up Capital			



			Beneficial interest (in value as well as % terms)	
			Whether the entity is a Section 8 company under Companies Act, 2013	
	23	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
	24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).		
	25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.		
	26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.		
	27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.		
	28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.		



III.	Records of professional achievements	
	29.	Professional achievements relevant for the directorship.
IV.	Proceedings, if any, against the proposed director	
	30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.
		(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.
	31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.
	32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.
	33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.
	34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.
	35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.



36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	<p>If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof.</p> <p><i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned)</i></p>	



V. General Information		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	

UNDERTAKING

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the Bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate/ proposed Director

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.
3. Supporting documents should be enclosed and should be self attested



Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Place: Date:	Signature of the Chair of the NRC / Board Name of the Chair of NRC/ Board

*Note * : 'substantial interest' (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds two crore rupees or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.*